

Date - 1 August 2022

PAKISTAN PAKISTAN PAKISTAN CHARAGUA Oman FOUNDATE F

- हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारत ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में चाबहार बंदरगाह की एक प्रमुख भूमिका पर जोर दिया।
- भारत अगले साल एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा।

अन्य बिंदु:

- इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत ने अफगानिस्तान को भूख और खाद्य असुरक्षा से लड़ने में मदद करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान की है।
- यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट और खाद्य संकट की समस्याओं को उठाया गया।
- आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

- संगठन में ईरान के प्रवेश की भी सराहना की गई।
- ईरान के शामिल होने से एससीओ फोरम को मजबूती मिलेगी क्योंकि अब सभी सदस्य देशों को ईरान में चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

चाबहार बंदरगाहः

- चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है।
- यह सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है।

महत्त्व:

- चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग प्रदान करता है, इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है।
- यह भारत के लिए समुद्री-भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल के परिवहन में पाकिस्तान को बायपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- वर्तमान में, पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान में यातायात की अनुमति नहीं देता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को गति प्रदान करेगा, जिसमें दोनों रूस प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता होंगे।
- इस परियोजना के लिए ईरान मुख्य प्रवेश द्वार है।
- यह अरब में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):

- यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित एक बहु-मॉडल परिवहन परियोजना है।
- अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया पर्यवेक्षक हैं।
- यह माल के लिए जहाज, रेल और सड़क पिरवहन के 7,200 किलोमीटर लंबे मल्टी-मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच पिरवहन लागत को लगभग 30% कम करना और पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है।

- यह गिलयारा इस्लामिक गणराज्य ईरान और सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप के माध्यम से रूसी संघ के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है।
- इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है।

उद्देश्य:


 कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, अस्त्रखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाना है।

महत्त्व:

- इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के एक व्यवहार्य और उचित विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा, यह क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगा।

स्वदीप कुमार

Narrow view: On the Supreme Court's PMLA verdict



 मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बिल्क आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी प्रोत्साहित करता है। यह एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

- वर्ष 2002 में तैयार किए गए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में धन शोधन के अपराध से निपटने के लिए इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
- आपराधिक रूप से अर्जित आय मानी जाने वाली संपत्तियों की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर पीएमएलए के तहत निहित निरंकुश शक्तियों पर सवाल उठाते हुए देश भर में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध स्रोतों और विधियों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन के रूपांतरण से है।
- यह भारत में एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले में आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में पीएमएलए अधिनियमित किया गया था। यह भी शामिल है:
- स्वापक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988
- सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
- धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की चालीस सिफारिशें, 1990
- 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम
- PMLA व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों, संघों या व्यक्तियों के निगमन और उपरोक्त में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी एजेंसी, कार्यालय या शाखा सहित सभी पर लागू होता है।

PMLA में हालिया संशोधन

अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण:

 अपराध की आय में न केवल एक अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल होगी, बिल्क किसी आपराधिक गितविधि के संबंध में या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गितविधि में लिप्त होने के कारण प्राप्त कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।

मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में बदलाव:

 इससे पहले, मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराधों पर निर्भर था, जिन्हें विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है।

- संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग को अपने आप में एक विशिष्ट अपराध के रूप में मानने का प्रयास करता है।
- पीएमएलए की धारा 3 के तहत, उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय में शामिल है।
 - 。 आय छुपाना
 - ्कळ्जा
 - 。अधिग्रहण
 - 。बेदाग संपत्ति के रूप में इस्तेमाल या पेश किया जाना
 - 。बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

अपराध की सतत प्रकृति:

 यह संशोधन आगे प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस सीमा तक शामिल माना जाएगा जहां तक कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

पीएमएलए में संशोधन को लेकर जताई चिंता

शक्तियों का संभावित दुरुपयोग:

• इस बात की प्रबल संभावना है कि पीएमएलए का इस्तेमाल किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या विरोधी के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कार्रवाई अपने आप में एक सजा है।

ईसीआईआर से संबंधित मुद्दे:

- ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट), जो एफआईआर के समान है, एक 'आंतरिक दस्तावेज' माना जाता है और इसे आरोपी को नहीं सौंपा जाता है।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के तथ्यों की जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि एकमात्र दस्तावेज जिसमें आरोप दर्ज किया जाता है वह ईसीआईआर है जो आरोपी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाता है।

सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत:

- पीएमएलए सामान्य आपराधिक कानून से अलग है।
- सामान्य आपराधिक कानून में प्रत्येक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
- लेकिन पीएमएलए में यह बोझ आरोपी व्यक्तियों पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आरोपी को गवाह बनने के लिए मजबूर करना:

- पीएमएलए की धारा 63 में कहा गया है कि आरोपी को जानकारी देनी होगी; झूठी सूचना या सूचना को छुपाने को एक अन्य आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
- आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करना आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन है।

ईडी विकलांगता:

- इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की दोषसिद्धि दर बहुत कम है; जबिक हजारों मामले दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनका जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ।
- भारत की संसद में सरकार द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, 2005 और 2013-14 के बीच शून्य दोष सिद्ध हुए। 2014-15 से 2021-22 तक ईडी द्वारा जांचे गए 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोषी पाए गए।

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
- वर्ष 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग में विनिमय नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
- वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।

ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

PMLA में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख

- सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसे 'अद्वितीय और विशेष कानून' कहा। इसने पूछताछ करने, लोगों को गिरफ्तार करने और संपत्तियों को कुर्क करने के लिए ईडी की शक्तियों को भी रेखांकित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित अपराध के संबंध में रोकथाम, जांच या मुकदमे के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के तंत्र के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।
- न्यायालय ने यह भी माना है कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती है।
- ईआर के आंतरिक दस्तावेज को ईसीआईआर को स्वीकार किया और कहा कि आरोपी को ईसीआईआर की प्रति सौंपना अनिवार्य नहीं है और गिरफ्तारी के दौरान केवल कारणों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जहां उसे केवल गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जा सकता है।

स्वदीप कुमार

डीप सी माइनिंग

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन प्रणाली का दुनिया का पहला लोकोमोटिव परीक्षण करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 16वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
- इसके अतिरिक्त भारत के डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में हिंद महासागर के लिये अपनी तरह का पहला और पूरी तरह से अत्याधुनिक स्वचालित बोया-आधारित तटीय अवलोकन एवं पानी की गुणवत्ता वाली नाउकास्टिंग प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS) द्वारा विकसित किया गया था।


नाउकांस्टिंग प्रणाली (Nowcasting System) क्या है?:

नाउकास्टिंग प्रणाली तटीय निवासियों, मछुआरों, समुद्री उद्योग, शोधकर्त्ताओं, प्रदूषण, पर्यटन, मत्स्य पालन और तटीय पर्यावरण से निपटने वाली एजेंसियों सिहत विभिन्न हितधारकों को लाभ पहुँचाने के लिये है। इस पद्धित में स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों के रडार और उपग्रह अवलोकनों को संसाधित किया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा कई घंटे पहले मौसम को प्रोजेक्ट करने के लिये तेज़ी से प्रदर्शित किया जाता है।

डीप सी माइनिंग:

- गहरे समुद्र क्षेत्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया को डीप सी माइनिंग के रूप में जाना जाता है। 200 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित समुद्री भाग को गहरे समुद्र के रूप में पारिभाषित किया जाता है।
- गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गितविधियों की निगरानी के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत एक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल, वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे है और दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% का प्रतिनिधित्व करता है।


विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों की खोज



डीप सी माइनिंग के तहत चुनौतियाँ:

• डीप सी माइनिंग के कारण समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितकी तंत्र को भारी नुकसान पहुँचता है,

- खनन के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहरे समुद्र में स्थित विभिन्न जीवों के प्राकृतिक आवासों को बदल या नष्ट कर सकता है।
- इस कारण से उन विशेष स्थानों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियाँ जो विशेष तौर कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती है, उनको प्रवास सम्बन्धी नुकसान होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य का विखंडन या नुकसान होता है।
- खनन के कारण समुद्र तल पर महीन तलछट जो खनन के कारण उत्पन्न होंगे उन निलंबित कणों का ढेर लग जायेगा।
- खनन जहाजों द्वारा समुद्र की सतह पर अपशिष्ट जन का निर्वहन बढ़ा दिया जायेगा।
- खनन उपकरण और सतह पर चलने वाले जहाज़ों के कारण होने वाले शोर,
 कंपन तथा प्रकाश प्रदूषण के साथ-साथ ईंधन एवं ज़हरीले उत्पादों के संभावित
 रिसाव और फैलाव से व्हेल, टूना और शार्क जैसी प्रजातियाँ प्रभावित हो सकती हैं।



डीप ओशन मिशन और भारत:

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार भारत जल्द ही एक महत्वाकांक्षी 'डीप ओशन मिशन' की शुरुआत करने वाला है, जो सागरों, महासागरों के जल के नीचे की दुनिया के खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करेगा या

जानकारी प्राप्त करेगा, जिसका एक बड़ा भाग अभी भी अस्पष्टीकृत है और इसके बारे में व्यापक शोध और अध्ययन किया जाना अभी बाकी है.

- इस मिशन की लागत, **4,000 करोड़** से अधिक है. यह मिशन भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) और महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf) का पता लगाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा.
- इस मिशन के प्रमुख घटक अंडरवाटर रोबोटिक्स (Underwater robotics) और 'मानवयुक्त' सबमर्सिबलस' (manned submersibles) हैं. ये विभिन्न संसाधनों जैसे जल, खनिज और ऊर्जा का सीबेड और गहरे पानी से दोहन में भारत की मदद करेंगे.
- गहरे समुद्र से खनिजों को निकालने के लिए महतवपूर्ण और आवश्यक तकनीकों का विकास करना परमावश्यक है, तभी डीप मिशन की खोज करना संभव हो सकता है।
- समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ तीन लोगों को ले जाने के लिए मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास करना होगा।
- गहरे समुद्र से खनिज अयस्कों को निकालने के लिये एकीकृत खनन प्रणाली को विकसित किया जायेगा ।
- यह गहरे समुद्र में जैवविविधता की खोज और संरक्षण के लिये "गहरे समुद्र के वनस्पतियों और जीवों के जैव-पूर्वेक्षण एवं गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग पर अध्ययन" के माध्यम से तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाएगा।
- मिशन "अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) संचालित विलवणीकरण संयंत्रों के लिये अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन के माध्यम से समुद्र से ऊर्जा व मीठे जल प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करेगा।
 - 。 भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ का पता लगाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा।
 - मानव सबमर्सिबल (Human Submersibles) के डिजाइन, विकास और प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा।
 - 。 गहरे समुद्र में खनन और आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास की संभावना का पता लगाने में मदद करेगा।
 - 。 हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति बढ़ाएगा।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे अन्य देश भी इस गतिविधि में हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले हफ्ते, चीन ने मारियाना ट्रेंच के

तल पर खड़ी अपनी नई मानव-निर्मित सबमर्सिबल की फुटेज को लाइव-स्ट्रीम किया था. यह ग्रह पर सबसे गहरी पानी के नीचे घाटी में इस मिशन का हिस्सा था।

खनन का पर्यावरणीय प्रभाव :-

प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के अनुसार, ये गहरे दूरस्थ स्थान कई विशेष समुद्री प्रजातियों के घर भी हो सकते हैं. इन प्रजातियों ने स्वयं को कम ऑक्सीजन, कम प्रकाश, उच्च दबाव और बेहद कम तापमान जैसी स्थितियों के लिये अनुकूलित किया है. इसलिए हो सकता है कि इस प्रकार के खनन कार्यों से उनकी प्रजाति और उनके निवास स्थान पर खतरा उत्पन्न हो. साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार के खनन अभियान उनकी खोज के पहले ही उन्हें विलुप्त कर सकते हैं.

• अभी तक गहरे समुद्र की जैव-विविधता और पारिस्थितिकी की काफी कम समझ है, इसलिये इनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना और पर्याप्त दिशा-निर्देशों को

तैयार करना भी कठिन हो जाता <mark>है.</mark>

रवि सिंह

